

87/108!

10220/12



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

818724

B 818724  
3 MAY 2012



मि. श्री. कोपिलका



मि. श. कुमर

विक्रय विलेख

|    |                            |                 |
|----|----------------------------|-----------------|
|    | प्रतिफल की छनराशि-         | रु० 11,54,478/- |
|    | बाजार मूल्य -              | रु० 3,32,100/-  |
|    | अदा किये गये जनरल स्टैम्प- | रु० 80,850/-    |
| 1. | भूमि का प्रकार -           | कृषि            |
| 2. | परगना -                    | चिजनीर          |



मि. क. बाहुवाल

मि. श. कुमर





06AA 003043

- 2 -

3. ग्राम - बरीना
4. सम्पत्ति का विवरण - भूमि खसरा संख्या 202 रकबा 0.123  
हे. का पूर्ण भाग स्थित ग्राम- बरीना, परगना बिजनीर, तहसील  
ब जिला लखनऊ।
5. मापन की इकाई - हेक्टर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.123 हेक्टर
7. सड़क की स्थिति - मुल्तानपुर रोड व अमरशाहीद मध

मि. ह. वा. कृ. लाल

रमेश कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



-3-

से लगभग 200 मीटर से अधिक

8. सम्पत्ति का प्रकार — कृषि
9. पेड़ों की स्थिति — नहीं
10. चौरंग / कुआँ अन्य — कुछ भी नहीं है।

मौहददी खसरा नं० 202

उत्तर : खसरा नं०-201



मि. अ. अ. अ. अ.

मि. अ. अ. अ. अ.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



-4-

दक्षिण : खसरा नं०-203

पूरुब : खसरा नं०-199

पश्चिम : खसरा नं०-204, 205

प्रथम पक्ष की संख्या- 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

| दिकेता का विवरण :  | क्रेता का विवरण :   |
|--|---|
| बाबूलाल पुत्र वीरु निवासी-<br>ग्राम बरीना, परगना बिजनौर, | रमेश कुमार पुत्र स्व० विपति निवासी<br>-ग्राम जतुआटपा, पोस्ट बधुवाखास, |

रमेश कुमार



श्री क. बाबूलाल



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



-5-

|               |                |
|---------------|----------------|
| जिला लखनऊ।    | जिला रायबरेली। |
| व्यवसाय- कृषि | व्यवसाय- कृषि  |

यह विक्रय विलम्ब बाबूलाल पुत्र वीरू निवासी- ग्राम बरौना,  
परगना विजनीर, जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है  
(जिसके अन्तर्गत विक्रेता के विधिक उत्तराधिकारी, कारिसान एवं  
निष्पादकगण सम्मिलित हैं)

एवम्

रमेश कुमार



मि. बाबूलाल



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 6 -

रमेश कुमार पुत्र स्व० विपति निवासी -ग्राम जतुआटप्पा, पोस्ट  
बधुवाखास, जिला रायबरेली जिन्हें आगे केंता कहा गया है (जिनके  
अन्तर्गत केंता के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण  
सम्मिलित हैं) के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 202 रकबा 0.123 हे० का  
पूर्ण जग स्थित ग्राम- बरीना, परगना बिजनीर, तहसील व जिला  
लखनऊ का मालिक, जामिल व फाबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित



सि. क. अष्टक

रमेश कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 745567

13/08/2011



-7-

शुद्धाधिकारिक खतीनी क्रम संख्या 00210 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम  
संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता के नाम का अमल  
दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता पैसे की सख्त  
आवश्यकता के कारण विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा केता को इस  
विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है। यह कि विक्रेता को उक्त भूमि  
की विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण  
भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि



मि. B. लालका

रमेश कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 8 -

कृषि भूमि है और उक्त भूमि सारफ्त भूमि का हिस्सा नहीं है तथा उक्त भूमि सीतिया, गाम समाज, भूदान व पट्टे की भूमि नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व काही बय, हिसा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण गतिष्य में निकलता है तो उसके



डि. अ. कर्णाल

रमेश कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे।  
उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी  
कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क  
इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का  
स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय  
अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के  
फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य ₹60 11,54,478/- (छठ ग्यारह लाख



वि. क. बाइलाल

रमेश कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 10 -

चौवन हजार चार सौ अदहत्तर मात्र) के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त  
केता द्वारा विक्रेता की इस विलेख में अन्त में दी गई अनुसूची में  
वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति  
की विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त केता  
के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के  
अन्त में अनुसूची में उल्लिखित दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं  
विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा केता को बखूबी करा



नि १-११/११/११

रमेश कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 11 -

दिया गया है। अब उक्त आरज़ी पर विकेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विकेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए केता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब केता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विकेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अडचन बाधा नहीं डाल सकेंगे।



सि. # - वा. श्रमाप

एम. 2। कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 649317  
25.000 1998

-12-

एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुद्ध सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अडचन या कानूनी त्रुटि के कारण कंता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जायें तो कंता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत प्रसूज कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके

हरिकुमार



श्री ज.पी.हरिदास



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



-13-

यारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा। यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि क्रेता विक्रेताशुदा संपत्ति की दायित्व स्वारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करवा ले तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति

रमेश कुमार



नि.म. लखनऊ



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



-14-

न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम बरौना अर्द्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिये निर्धारित सरकिल रेट रु० 27,00,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.123 हे० की मालियत रु० 3,32,100/- होती है तथा विक्रय मूल्य नूमे की बाजार

  
म. म. क. लाल

मेरा कमाट



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 15 -

मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू० 80,850/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। भूमि में कोई पेड इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही हैं व कोई नलकूप कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।



निम्न बाबूदास

होश कुमार

Handwritten signatures and scribbles at the top of the page.

1,154,478.00 / 352,100.00  
 10,000.00 20 10,020.00 1,000  
 चीन रिपोर्ट काल २ प्रति युक्त डीएम अवर सहायक

प्रतिष्ठा मजिस्ट्रेट  
 श्री कापूरदास  
 पुत्र श्री मोहन  
 कायस्थ कायस्थ  
 निवासी काशी ग्राम बरौना जयपुर  
 जयपुर जिले  
 स. नं. २०१४४ एम. का. का. का. में  
 २० मई २०१२ को (दिनांक)

नि.क.

दिनांक 26/5/2012 ११:३८ AM

रजिस्ट्रार अधिकाारी के हस्ताक्षर

रमेश कुमार  
 एम निवन्धक (प्रथम)

तखनक  
 28/5/2012

दिये गये लेखों का हलवा न कराने का आदेश  
 दिनांक

श्री बलराम  
 पुत्र श्री गोकुल  
 पेशा व्यवसाय  
 निवासी ग्राम बरौना जयपुर

नि.क.

श्री रमेश कुमार  
 पुत्र श्री स्व. विपति  
 पेशा कृषि  
 निवासी ग्राम जतुआलगा वि. राजपुर

३ दिवस का समय देना  
 निवासी काशी श्री मजिस्ट्रेट कायस्थ  
 पुत्र श्री हरिचरण कायस्थ  
 कायस्थ कायस्थ  
 निवासी काशी कायस्थ  
 पुत्र श्री प्रताप सिंह  
 पुत्र श्री हरिचरण कायस्थ  
 कायस्थ कायस्थ  
 निवासी काशी कायस्थ  
 पुत्र श्री

नि.क.

Handwritten signature and scribbles.



मजिस्ट्रेट का आदेश न कराने का आदेश

रजिस्ट्रार अधिकाारी के हस्ताक्षर

रमेश कुमार  
 एम निवन्धक (प्रथम)

तखनक  
 28/5/2012

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 872693

- 16 -

विकेता एवं केता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय केता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विकेता ने केता के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समझ गयाहान लिख दिया ताकि ~~...~~ और वक्त जरूरत पडने पर काम आवे।

निशु. बशु. ७७

रमेश कुमार

Handwritten signatures and marks at the top of the page.

Handwritten signature or stamp in the center of the page.

Registration No.: 10220

Year: 2012

Book No.: 1

Q101 सङ्कलन  
दीर्घ  
एक सदी के ललित  
काल



परिशिष्ट: भुगतान वितरण

1. विक्रेता को रू० 11,54,478/- द्वारा चेक संख्या- 056195 दिनांकित 28/05/12 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य रू० 11,54,478/- (रू० ग्यारह लाख चौवन हजार चार सौ अठहत्तर मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है तथा अब कोई भी धनराशि विक्रेता को क्रेता से लेना शेष नहीं है।

लखनऊ:

दिनांक : 28.05.2012

गवाह :-

1. पं. राजेश पांडे  
पुत्र हरीशंकर पांडे  
लखनऊ

2. Prateek Singh  
Gorakhpur

पं. राजेश पांडे  
लखनऊ

प्रतेक सिंह  
क्रेता

टाईपेक्ता  
(दीपक उपाध्याय)  
सिविल कोर्ट लखनऊ

नसुबिदाकर्ता  
(विवेक कुमार सिंह)  
एडवोकेट  
सिविल कोर्ट लखनऊ

केस

Registration No. 10221

Year: 2012

Bank No. 1

0201 श्रीमती सुमित्रा  
रा. सिने  
सम. पुरातनत्व वि. (अ.प्र.सं.)  
पुरे




पञ्जाब विधानसभा

ग्राम - लखी

दिना - २३/३

संख्या - २०२

शुल्क - ०-१२४



सि. नं. २३/३

पिंडेल

सोरा...

...

आज दिनांक 28/05/2012 को

बही सं I किल्ला सं 14293

पृष्ठ सं 217 से 252 पर क्रमांक 10220

संशोधित किया गया।

सिस्टीमिका अतिरिक्त का सम्पादन



उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

28/5/2012